मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य

बनाम

मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, M.K.S.K.S. एवं अन्य

29 अगस्त, 2007

श्रम कानून:

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मजदूरी में समानता. आकस्मिक श्रमिकों की नियमित श्रमिकों से तुलना- आकस्मिक श्रमिकों को उचित मजदूरी से इनकार. चुनौती. उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार - अपील में, अवधारित: प्रश्न नियमितीकरण का नहीं है. आकस्मिक श्रमिकों को भुगतान की जाने वाले मजदूरी को निर्धारित करने के लिए मजदूरी को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन करने की आवश्यकता है। समिति श्रमिकों को नियमित किए बिना भुगतान की जाने वाली राशि से संबंधित एक योजना तैयार करेगी और मजदूरी की समानता के प्रश्न की भी जांच करेगी.समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार को सभी संबंधित पक्षों की राय प्राप्त करने के बाद कार्रवाई करनी होगी। उच्च न्यायालय के आदेश को प्रभाव नही दिया जाए।

उत्तरदाता-श्रमिक संधों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दैनिक श्रेणी के श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए नियोक्ता - विश्वविद्यालय को उचित निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की। यह आरोप लगाया गया था कि दैनिक श्रेणी के मजदूरों की योग्यताए काम की प्रकृति, कर्तव्य और जिम्मेदारियां विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित स्थायी मजदूरों के समान हैं, लेकिन उन्हें स्थायी श्रमिकों को दिए जा रहे वेतन की तुलना में बहुत कम मजदूरी दी जा रही है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दैनिक श्रेणी के श्रमिकों को उचित मजदूरी से वंचित करना श्रमिकों का शोषण है और अपीलार्थी को निर्देश दिया कि दैनिक श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान और 26 से विभाजित महँगाई भत्ते के आधार पर मूल वेतन की दर से मजदूरी दी जानी चाहिए। इसलिए वर्तमान अपीलें पेश की गई।

अपीलकर्ता.नियोक्ता ने तर्क दिया कि श्रमिक मौसमी कर्मचारी थे और सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमा देवी व अन्य के न्याय दृष्टान्त को देखते हुए उनके नियमितीकरण का सवाल उत्पन्न नहीं होता है।

उत्तरदाताओं का निवेदन है कि प्रश्न नियमितीकरण का नही है वरन् वेतन की समानता का है

अपीलों को अनुमति देते हुएए न्यायालय ने अवधारित किया-

1.1. श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन को युक्तिसंगत बनाने हेतु एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले मेंए सवाल वास्तव में नियमितीकरण का नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति को पक्षों के विचारों को सुनकर श्रमिकों को नियमित किए बिना भुगतान की जाने वाली राशि से संबंधित एक योजना तैयार करनी चाहिए। यह इस बात की भी जांच करेगा कि जरूरत का ढंग, रोजगार की मौसमी प्रकृतिए यदि कोई होए से संबंधित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मजदूरी की समानता की कोई आवश्यकता भी है या नहीं।

(पैरा 6 और 7, ख्551.सीय 553.बी)

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी और अन्य, (2006) 4 एस.सी.सी. 1 पर भरोसा किया।

1.2 समिति, जैसा कि गठित की गई है, सार में एक समकक्ष कमेटी होगी। समिति गठन की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।

(पैरा 8, ख्553.डी)

1.3. राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विचार प्राप्त करने के बाद और सभी संबंधित पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के बाद अनुशंसाओं पर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(पैरा 9, ख्553.ई)

2. उच्च न्यायालय के आदेश को प्रभाव नहीं दिया जाएगा।

(पैरा 9, ख्553.ई)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4454-4466 वर्ष 2000

बम्बई उच्च न्यायालय, बेंच ओरंगाबाद के रिट याचिका संख्या 686 वर्ष 1988, 4002 वर्ष 1991, 1202, 1032, 1033, 947, 934 और 547 वर्ष 1990, 35 वर्ष 1993, 615, 377, 12 वर्ष 1993 एवं 578 वर्ष 1986 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 5.5.2000 से।

वी.ए. मोहता, अनिरुद्ध पीणमयी, संजीव कुमार चौधरी और नीलकंठ नायक अपीलार्थियों की ओर से।

एस. के. ढोलकिया और जयदीप गुप्ता, गोपाल बलवंत साठे, एस. एस. शिंदे, वी.एन. रघुपति, एस. वी. देशपांडे, शिवाजी एम. जाधव, टी. राजा और डॉ. कैलाश चंद उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय के विरूद्ध पेश की गई हैं । उच्च न्यायालय द्वारा कई रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया था। ये रिट याचिकाएं या तो मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय (इसके बाद श्विश्वविधालयश् के रूप में संदर्भित) के श्रमिकों के संघों द्वारा दायर की गई थीं या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ और विश्वविद्यालय के खिलाफ दायर की गई। प्राथमिक शिकायत यह थी कि उन मजदूरों की योग्यताए काम की प्रकृतिए कर्तव्य और जिम्मेदारियां जो दैनिक श्रेणी के मजदूर थे, विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित स्थायी मजदूरों के समान हैं। तब भी दैनिक श्रेणी के श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन की तुलना में बहुत कम मजदूरी मिल रही थी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि महाराष्ट्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत गठित मुंबई मजदूरी आयोग ने मराठवाड़ा क्षैत्र की जोन के आधार पर मजदूरी की दरें तय की थी। लेकिन विश्वविद्यालय ने इन दैनिक श्रेणी के श्रमिकों को बहुत कम भुगतान किया।

2. उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि दैनिक श्रेणी के मजदूरों को उचित मजदूरी से इनकार करना श्रमिकों के शोषण के बराबर है। सरकार

उन्हें मात्र पेट पूर्ति मजदूरी पर आकस्मिक मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर करके अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ नहीं उठा सकती है। इसलिए, यह निर्देश दिया गया कि दैनिक श्रेणी के श्रमिकों को 1 मई 1988 से मूल वेतन की दर यानी न्यूनतम वेतनमान और महँगाई भत्ते को 26 से विभाजित करके मजदूरी दी जाए।

3. निर्देश संक्षेप में इस प्रकार थेः

> "इसलिए यह निर्देश दिया जा रहा है कि यदि दैनिक मूल्यांकन किए गए श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है तो फिर उन्हें मूल वेतन (न्यूनतम वेतनमान पर) और महँगाई भत्ता 30 से विभाजित दर पर मजदूरी का भुगतान किया जावें और यदि साप्ताहिक छुट्टी का भुगतान दैनिक मूल्यांकन श्रमिकों को नहीं किया जा रहा है तो फिर उन्हें मूल वेतन की दर से (न्यूनतम वेतनमान) और महँगाई भत्ता 26 से विभाजित जोड़कर मजदूरी दी जाएगी। इस तरह का भुगतान दैनिक मजदूरों को श्रेणियों के आधार पर होना चाहिए जैसे कि कुशल, अर्ध कुशल, या अकुशल जैसा भी मामला हो।"

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रमिक मौसमी कर्मचारी थे और इस न्यायालय द्वारा सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य (2006) 4 एस.सी.सी. में जो कहा गया है, उसे देखते हुए नियमितीकरण का सवाल नहीं उठता है।

5. दूसरी ओर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि सवाल नियमितीकरण का नही है, बल्कि वेतन की समानता का सवाल है। अपीलार्थी द्वारा एक विवाद उठाया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "आई.डी. अधिनियम") लागू नहीं होता है क्योंकि विश्वविद्यालय एक उद्योग नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय का निर्देश मानक लागू करने के लिए है।

6. विवाद की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते है कि सम्बन्धित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाना तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उमा देवी के मामले (ऊपर) के पैरा 20 और 21 में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया था:

"धारवाड जिला पीडब्ल्यूडी साक्षर दैनिक मजदूरी कर्मचारी संगठन बनाम कर्नाटक राज्य, (1990)2 एस.सी.सी. 396 के

निर्णय में हालांकि न्यायालय के कहने पर कर्नाटक राज्य द्वारा बनाई गई एक योजना पर विचार किया गया। यह योजना अनिवार्य रूप के अनुप्रयोग से समान काम के लिए समान वेतन की अवधारणा से संबंधित थी, जिसमें स्थायी बनाने के लिए भी प्रावधान किया गया था, या जिसे नियमितकरण कहा जाता है, उन कर्मचारियों के भेद को ध्यान में रखे बिना, जिन्हें तदर्थ, आकस्मिक रूप से, अस्थायी रूप से या दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था। दूसरे शब्दों में, जिन कर्मचारियों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय ने, सीमा पर, कहा कि उसे किसी दी गई स्थिति केे अनुरूप न्याय को व्यक्तिगत रूप देना चाहिए। सम्मान के साथ इस कथन को स्वीकार करना संभव नही है, क्योकि यह अयोग्य प्रतीत होता है। यह न्यायालय न केवल संवैधानिक न्यायालय है, बल्कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, अपील का अंतिम न्यायालय भी है। संविधाान के अनुच्छेद 141 के आधार पर , यह न्यायालय जो निर्धारित करता है वह देश का कानून है। इसके निर्णय

सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। इसकी मुख्य भूमिका संविधान के मौलिक दर्शन को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक और अन्य वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करना है। हमने खुद को कानून के शासन द्वारा शासन की एक प्रणाली दी है। उच्चतम न्यायालय की भूमिका कानून के अनुसार न्याय प्रदान करना है। जैसा कि एक न्यायविद् ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की जाती है कि वह देश के लिए कानून के प्रश्नों का निर्णय करेगा और कानून के ऐसे सिद्धांतों के संदर्भ में बिना व्यक्तिगत मामलों का निर्णय नही करेगा। निरंतरता एक सद्गुण है। विधि पर अपने स्वयं के निर्णयों के अनुरूप आदेश पारित न करना भ्रमित करने वाले संकेत भेजने और न्यायिक अराजकता की शुरूआत करने के लिए हाउंड है। इसलिए, इसकी भूमिका वास्तव में कानून की व्याख्या करना और कानून के अनुसार उसके सामने आने वाले मामलों का फैसला करना है। जो आदेश स्वयं के निर्णय में अदालत द्वारा लिए गए कानूनी निष्कर्षो के साथ असंगत है, वे न केवल भ्रम पैदा करते है, बल्कि इस कथन को उजागर करने वाली मनमानेपन की

शुरूआत भी करते है, कि इक्विटी कुलाधिपति के पैरे के साथ भिन्न होती है।"

धारवाड़ मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने वास्तव में "समान काम के लिए समान वेतन" के सवाल को विचार में लिया और कर्नाटक राज्य को इस संबंध में एक योजना बनाने का निर्देश दिया था। निर्णय के पैरा 17 में (एस.सी.सी. के) इस न्यायालय ने कहा कि पूर्व निर्णय कर्नाटक राज्य को आकस्मिक या दैनिक/मासिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान भुगतान करने के लिए बाध्य करते है। वास्तव में, इस न्यायालय ने राज्य के वकील के इस तर्क को ध्यान दिया कि वास्तविकता में और राजकार्य के मामले के रूप में, इस तरह के निर्देश का कार्यान्वयन एक आर्थिक असंभवता थी और केवल एक योजना बनाई जा सकती थी। इस प्रकार 1-7-1984 तक या उससे पहले नियुक्त आकस्मिक/दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों के अवशोषण के लिए एक योजना तैयार की गई और स्वीकार की गई। इन निर्देशों के आर्थिक परिणाम इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में लिखे गये (एससीसी पेज 408-09, पैरा 24)

"24. हम इस स्थिति में जीवित है कि हमने जिस योजना को अंतिम रूप दिया है वह आदर्श नही है, लेकिन

जैसा कि हम पहले ही कह चुके है, किसी व्यक्ति के अनुरूप न्याय को व्यक्तिगत बनाने का न्यायालय का दायित्व तथ्यों के एक समूह में स्थिति जो इसके सामने रखी जाती है, न्याय करे। संविधान की योजना के तहत कोष कार्यकारी के हाथों में रहता है। राज्य की विधायिका समेंकित निधि को नियंत्रित करती है, जिसमें से योजना को प्रभावी होने में व्यय किया जाना है, समेंकित निधि से प्रवाह कराधान की नीति, संभवत करदाता की क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए संवैधानिक दायित्वों को तुरन्त लागू करने हेतु राज्य पर अनावश्यक बोझ डालना ऐसी समस्या पैदा करेगा जिन्हें राज्य सहन न कर सके। हमने इसलिए, विवेकपूर्ण संयम के साथ निर्देश दिए है इस आशा और विश्वास के साथ कि दोनों पक्ष सराहना करेगें और स्थिति को समझेगें। राज्य की साधनशीलता अवश्य महसूस करें कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पैसा जो समेंकित निधि में बहता है। राज्य लोगों में आता है ओर कल्याणकारी व्यय जो है उसी कोष से राशि लोगों को वापस कर दी जाती है। हो सकता है कि हर स्थिति में एक ही करदाता लाभार्थी नही

हो। यह कराधान की एक घटना है और एक कल्याणकारी समाज के भीतर रहना एक आवश्यक सहवर्ती है।"

7. लेकिन सवाल वास्तव में नियमितीकरण का नही है। सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि समिति को पक्षों के विचारों को सुनना चाहिए और श्रमिकों को नियमित किए बिना भुगतान की जाने वाली राशि से संबंधित एक योजना तैयार करनी चाहिए। यह इस बात की भी जांच करेगा कि क्या जरूरतों के मानक के तरीके, रोजगार की मौसमी प्रकृति, यदि कोई हो, से संबंधित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मजदूरी की समानता की कोई आवश्यकता है या नही।

8. समिति में श्रीमती एम.एच. पंडित, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और कृषि विद्यापीठ कामगार कर्मचारी संघ और विश्वविद्यालय के संयुक्त सचिव श्री उद्धव वितीय मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले दो व्यक्तियों को नामित करेंगे। समिति मूल रूप में एक समतुल्य समिति होगी। समिति के द्वारा गठन की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी।

9. राज्य सरकार इस आधार पर विश्वविद्यालय के विचार प्राप्त करने के बाद और सभी संबंधित पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के बाद आवश्यक कार्यवाही करेगी। उच्च न्यायालय के आदेश को उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रभाव नही दिया जाएगा।

10. अपीले स्वीकार की गई। खर्च के बारे मेंे कोई आदेश नही है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेन्द्र कुमार दवे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।